जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस नोट

दिनाँक 07.10.2025

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप चोरी के मामलें मे अभियुक्त को जेल में बितायी गया अवधि व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन”अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 06.10.2025 को मा0न्यायालय सी0जे0 (एस0डी0) एफ0टी0सी0/ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा चोरी के मामले में अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित।

विवरणः-

मु0अ0सं0 63/2002 धारा 379/411 भादवि थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त बिगाडु पुत्र दुलारे निवासी बढ़या टोला (रामनगर) थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा वादी श्री अशोक सिंह पुत्र दरोगा सिंह निवासी बढ़या टोला थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के खेत में चोरी करने के संबंध मे दिनाँक 21.03.2002 को थाना मेंहदावल पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर उक्त को धारा 379/411 भादवि0 के अपराध के लिए जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया जुर्माना अदा न करने पर अभि0 को 03 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामलें मे अभियुक्ता को न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन”अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 06.10.2025 को मा0न्यायालय सी0जे0 (एस0डी0) एफ0टी0सी0/ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा मारपीट के मामले में अभियुक्ता को न्यायालय उठने तक के कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित।

विवरणः-

मु0अ0सं0 163A//2001 धारा 323,324,504 भादवि थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्ता गुलइचा देवी पत्नी कान्त निवासी कुसौना थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा वादी श्री उदयराज पुत्र सीताराम की पुत्री को मारपीट, गाली-गलौज व धारदार हथियार से प्रहार करने के संबंध मे दिनाँक 09.12.2001 को थाना मेंहदावल पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियुक्ता को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 323 भादवि के अपराध के लिए 500 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्ता को 01 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा, धारा 324 भादवि के अपराध के लिए न्यायालय उठने तक के कारावास 1000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया, जुर्माना अदा न करने पर 01 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा तथा धारा 504 भादवि0 के अपराध के लिए 500 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्ता को 01 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

•थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

•थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 280 वाहनों से 321,200 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 07.10.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 280 वाहनों से 321,200 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दहेज मृत्यु कारित करने के मामलें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी धनघटा श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली श्री रजनीश राय की गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 298/2025 धारा 80(2), 85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट मे वांछित अभियुक्त नाम पता बेचूलाल पुत्र बंशीधर पता वार्ड न0-02 राजेन्द्र नगर नगर पंचायत हरिहरपुर थाना महुली जनपद संतकबीर को आज दिनाँक 07.10.2025 को उसके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी की पुत्री को उक्त अभियुक्त द्वारा दहेज कि माँग व मुत्यु कारित करने के संबन्ध में वादिनी द्वारा थाना महुली पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना महुली पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 07.10.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 अशोक कुमार सिंह, का0 छोटे लाल।